

**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

**आप.अ. 1122/2012**

निर्णय सुरक्षित: 02 अप्रैल, 2014

निर्णय उद्घोषित : 29 अप्रैल, 2014

आशिफ खान उर्फ कल्लू

..... अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री राखी दुबे, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री ओ.पी. सक्सेना, राज्य के  
अति.लो.अभि. सह एसआई करमवीर,  
नारकोटिक्स सेल, थाना शकरपुर,  
दिल्ली।

**कोरम:**

**माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा**

**निर्णय:**

1. वर्तमान अपील स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (जिसे आगे एनडीपीएस एक्ट कहा जाएगा) की धारा 21 (ख) के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि के दिनांक 11 जुलाई, 2012 के आदेश और प्राथमिकी सं. 87/2006, थाना नारकोटिक्स शाखा में सत्र मामला संख्या 97/2007 में दिनांक 17 जुलाई, 2012 के सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि जांच अधिकारी एसआई सुनील जैन (अभि.सा. 9) को दोपहर लगभग 1.30 बजे एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसे डी.डी. संख्या 10 ए (प्र.अभि.सा. 8/ए) के रूप में दर्ज किया गया तथा गुप्त सूचना देने वाले को नारकोटिक्स शाखा के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर खड़क सिंह (अभि.सा.8) के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त जानकारी एसीपी मेहर सिंह को टेलीफोन पर दी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह (अभि.सा.8) के निर्देश पर, आईओ/एसआई सुनील जैन (अभि.सा.9), कांस्टेबल ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल सतबीर (अभि.सा.6), हेड कांस्टेबल विजय पाल (अभि.सा.10) और गुप्त मुखबिर अपने जांच किट के साथ कांस्टेबल परवीन द्वारा चलाए गए वाहन नंबर डीएल 1 सीएफ 3426 में डीडी सं. 11 ए (प्र.अभि.सा. 9/ए) के रूप में प्रस्थान प्रविष्टि करने के बाद लगभग 2.00 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। आम लोगों द्वारा जांच में शामिल होने से इनकार करने पर, छापा मारने वाली पार्टी ने अपनी-अपनी स्थिति संभाली और अपीलार्थी को सीलमपुर रेड लाइट की तरफ से पैदल आते देखा और उसे गुप्त मुखबिर ने पहचान लिया, जो उसके बाद घटनास्थल से चला गया। लगभग 3-4 मिनट तक इंतजार करने के बाद जब अपीलार्थी ने भागने की कोशिश की तो छापा मारने वाली टीम ने उसे पकड़ लिया। अपीलार्थी को उसके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया गया। उसे पुलिस पार्टी के पास मौजूद गुप्त सूचना के बारे में भी बताया गया और उन्हें राजपत्रित अधिकारी

या दंडाधिकारी की मौजूदगी में तलाशी कराने के उनके अधिकारों के बारे में भी बताया गया और तलाशी से पहले छापा मारने वाले दल और सरकारी वाहन की तलाशी लेने की पेशकश की गई और अपीलार्थी (प्र.अभि.सा.6/2) द्वारा प्रस्तावों को अस्वीकार करने पर, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत उन्हें एक नोटिस (प्र.अभि.सा.6/1) दिया गया। उस समय तलाशी में राहगीर व्यक्तियों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया और उनके इनकार करने पर अपीलार्थी की तलाशी ली गई और उसकी पैंट की दाहिनी जेब से स्मैक बरामद की गई। जिसका वजन 320 ग्राम पाया गया। इसके बाद 5-5 ग्राम के दो नमूने निकालकर उन्हें एक पार्सल में सील कर दिया गया तथा एफएसएल फॉर्म भर दिया गया तथा शेष बची स्मैक को भी एक अलग पार्सल में सील कर दिया गया तथा तीनों पार्सलों पर 'ए', 'बी' तथा 'सी' लिख दिया गया। सभी चार वस्तुओं पर "5बीपीएसएनबीडीईएलएचआई" की सील लगाई गई थी और इन्हें ज़ापन प्र.अभि.सा. 6/3 द्वारा जब्त कर लिया गया। उपयोग के बाद सील हेड कांस्टेबल सतबीर को सौंप दी गई। रुक्का प्र.अभि.सा. 9/बी तैयार किया गया और हेड कांस्टेबल विजय पाल (अभि.सा.10) को तीन एफएसएल फॉर्म और जब्ती ज़ापन और रुक्का की कार्बन कॉपी के साथ पुलिस स्टेशन भेजा गया और पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर एसआई घासी राम (अभि.सा. 3) को रुक्का सौंप दिया और पार्सल वाला सामान थाना अध्यक्ष खड़क सिंह (अभि.सा. 8) को सौंप दिया, जिन्होंने तीन पार्सल और एफएसएल

फॉर्म पर अपनी सील “1एसएचओएनबीआरदिल्ली” लगाई और इन सभी लेखों पर प्राथमिकी सं. और अपने हस्ताक्षर किए और उसके बाद इसे एमएचसीएम एचसी जगदीश प्रसाद (अभि.सा.7) को सौंप दिया, जिन्होंने रजिस्टर सं. 19 में प्रासंगिक प्रविष्टियां कीं और इन लेखों को एफएसएल फॉर्म के साथ प्रविष्टि प्र.अभि.सा.7/ए के तहत मालखाने में जमा कर दिया। डीडी संख्या 14ए (प्र..अभि.सा.3/3) के आधार पर प्राथमिकी संख्या 87/2006 (जिसकी प्रति प्र..अभि.सा.3/2 है) दर्ज की गई और रुक्का पर पृष्ठांकन (प्र..अभि.सा. 3/1) किया गया। प्राथमिकी बंद करने की प्रविष्टि भी डीडी संख्या 16ए (प्र..अभि.सा. 3/4) के माध्यम से की गई। इसके बाद मामले की जांच एसआई अनूप सिंह (अभि.सा.5) को सौंपी गई, जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर एसआई सुनील जैन (अभि.सा.9) से जांच का जिम्मा संभाल लिया। उन्होंने संकेत के आधार पर साइट प्लान (प्र..अभि.सा.5/1) तैयार किया और अभियुक्त-अपीलार्थी को गिरफ्तारी ज्ञापन प्र..अभि.सा.5/3 के तहत गिरफ्तार किया और ज्ञापन प्र..अभि.सा.5/4 के तहत उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली। अभियुक्त-अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी में बरामद वस्तुओं में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस की कार्बन कॉपी (प्र..अभि.सा.6/4) और 170/- रुपये की नकद राशि, एक कलाई घड़ी, एक सोने की चेन, कुछ विजिटिंग कार्ड और दस्तावेज आदि वाला एक काले रंग का पर्स, शामिल हैं। वह रात 10 बजे तक घटनास्थल पर रहे और रात 10.45 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे और अभियुक्त-अपीलार्थी को

थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर खड़क सिंह (अभि.सा.8) के समक्ष पेश किया और अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी की सामग्री एमएचसीएम के पास जमा कर दी गई। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के तहत रिपोर्ट (प्र..अभि.सा.2/3) तैयार की गई और इंस्पेक्टर खड़क सिंह (अभि.सा.8) द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई, जो डीसीपी कार्यालय में डायरी नंबर 4419 और 4420 (जिसकी प्रति प्र..अभि.सा.2/1 है) के माध्यम से प्राप्त हुई। डीसीपी कार्यालय में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के तहत प्राप्त मूल रिपोर्ट प्र..अभि.सा.2/2 है। नमूने 18.10.2006 को एमएचसीएम एचसी ईश्वर सिंह (अभि.सा.4) द्वारा आरसी संख्या 126/21 (प्र..अभि.सा. 4/सी) के माध्यम से एफएसएल को भेजे गए थे और पावती रसीद (प्र..अभि.सा. 4/बी) प्राप्त की गई थी। एफएसएल को भेजे गए ए चिन्हित वाले नमूने का रासायनिक विश्लेषण डॉ. मधुलिका शर्मा, सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान), फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रोहिणी, दिल्ली द्वारा किया गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट संख्या एफएसएल.2006/सी-3524 दिनांक 02.01.2007 को प्रस्तुत की थी, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 293 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।

3. अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों से पूछताछ की, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. के तर्कों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (बी) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था।

5. अपील में जो मुख्य तर्क दिए गए हैं, वे यह हैं कि नमूने एफएसएल, रोहिणी में जमा करने में 25 दिनों की देरी हुई थी और कांस्टेबल महेश, जिसने 18.10.2006 से पहले ही नमूना ले लिया था और उसे एफएसएल में जमा नहीं किया जा सका था, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी और इसके बाद नमूने से छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

6. यही तर्क विद्वान अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था। विचारण न्यायालय ने इस तर्क पर बहुत विस्तार से विचार किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

पैरा 21. “.... .... मुझे विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता की प्रस्तुतियों में कोई गुणागुण नहीं दिखता क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी, मामले की संपत्ति की जब्ती, नमूनों की तैयारी और मालखाने में नमूनों को जमा करने और रासायनिक विश्लेषण के लिए एफएसएल, रोहिणी को नमूने भेजने और उसके बाद, नमूने के अवशेषों को एफएसएल रिपोर्ट के साथ मालखाने में प्राप्त करने के संबंध में सुसंगत और विश्वसनीय तरीके से गवाही दी है।

22. इसके अतिरिक्त, 2011(1)जेसीसी 27 के रूप में रिपोर्ट किए गए बिलाल अहमद बनाम राज्य के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

10. मुझे इस तर्क में भी कोई गुणागुण नहीं दिखता कि फॉर्म एफएसएल को मालखाने में जमा नहीं कराया गया या उसे सीएफएसएल को नहीं भेजा गया। अभि.सा.3 इंस्पेक्टर जीवन सिंह ने बताया कि एफएसएल फॉर्म भर दिया गया है तथा जब्ती जापन प्र. अभि.सा. 3/ए के तहत पुलंदा को कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने पुलंदा और एफएसएल फॉर्म को जब्ती जापन के साथ अपने कब्जे में ले लिया और 2 मई, 1999 को रात करीब 10 बजे पुलंदा और एफएसएल फॉर्म को जब्ती जापन की एक प्रति के साथ मालखाने में जमा कर दिया। अभि.सा. 3 इंस्पेक्टर जीवन सिंह की गवाही को अभि.सा. 9 भागमल सिंह की गवाही से भी समर्थन मिलता है, जो यह भी बताता है कि नमूने और पुलंदा आर.के. और जे.एस. की सील के साथ विधिवत सीलबंद करके उसके पास जमा किए गए थे। उन्होंने रजिस्टर संख्या 19, प्र. अभि.सा. 9/ए में प्रविष्टि की। यह तर्क कि एफएसएल फॉर्म सीएफएसएल चंडीगढ़ को नहीं भेजा गया, निराधार है। सीएफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पीप्र. में कहा गया है कि "सीलें बरकरार थीं, और नमूना सील छापों से मेल खाती थीं"। नमूनों पर लगी सील का मिलान एफएसएल फॉर्म पर नमूना सील के अलावा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से बताए बिना कि नमूनों के साथ फॉर्म एफएसएल प्राप्त हुआ है, यह पृष्ठांकन स्पष्ट करता है कि फॉर्म एफएसएल प्राप्त हुआ था। सीएफएसएल को पार्सल भेजने में देरी

घातक नहीं है, खासकर तब जब सीएफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, सील बरकरार हैं और नमूना सील के साथ मेल खाती हैं। राजस्थान राज्य बनाम दौल उर्फ दौलत गिरी मनु/एससी/0881/2009 : 2009 (14) एससीसी 387 में यह माना गया:

1. तथ्यात्मक परिदृश्य से पता चलता है कि जाँच अधिकारी जसवन्त सिंह (अभि.सा..1) ने 15/6/1995 को वस्तुओं को जब्त कर लिया था। तलाशी जापन प्र. पी.4 है और सील का नमूना छाप प्र. पी.5 है। अभि.सा.1 ने जब्त सामान और नमूने को भंवरलाल (अभि.सा.8) के पास जमा करा दिया, जो मालखाना रजिस्टर में प्र. पी.15ए में मालखाना प्रभारी था। अभि.सा.8 ने नमूना एफ.एस.एल. में जमा करने के लिए सामग्री सुरेन्द्र सिंह (अभि.सा.5) को सौंप दी। अभि.सा.5 पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और सुबह 10 बजे जमनालाल को नमूने दिए तथा शाम 5 बजे जमनालाल से नमूने वापस प्राप्त किए तथा अग्रेषण पत्र भी प्राप्त किया जो कि प्र.पी.12 है तथा 20/6/95 दिनांकित है। अभि.सा.5 ने नमूने एफ.एस.एल. को सौंप दिए तथा पावती रसीद प्राप्त कर ली, यह प्र.पी.13 है। जमनालाल की भूमिका बहुत सीमित है; जो सुबह 10 बजे नमूना प्राप्त करना और शाम 5 बजे नमूना वापस सौंपना है। यह समझ से परे है कि जमनालाल से पूछताछ न किए जाने से अभियोजन पक्ष के बयान की सत्यता पर किसी भी तरह से असर कैसे पड़ा। उच्च न्यायालय इस प्रयासपूर्ण और अस्थिर निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि जमनालाल की जांच नहीं की गई थी, इसलिए "नमूने के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता"। एफएसएल

रिपोर्ट के मददेनजर यह निष्कर्ष अस्थिर है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सील बरकरार थीं और नमूना सील से मेल खाती थीं।

11. हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य मनु/एससी/7956/2008 : 2008 (8) एससीसी 557 में यह माना गया:

16. जहां तक अफीम के नमूनों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में भेजने में देरी का सवाल है, हमारी राय में इसका इस तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि अपीलार्थी के कब्जे से उक्त नमूने की बरामदगी विचारण में पेश किए गए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित और स्थापित हो चुकी है। अभि.सा. 5 ने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के कब्जे से अफीम की बरामदगी के बारे में कहा है और दावा किया है, जिस तथ्य की पुष्टि उच्च अधिकारी एसएस मान, डीएसपी द्वारा भी की गई है, जिनसे विचारण के दौरान विस्तार से पूछताछ की गई थी। उक्त बरामदगी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, डीएसपी एसएस मान की उपस्थिति में की गई, जिन्होंने अफीम के उक्त पैकेटों पर अपनी सील भी लगाई थी।

17. तत्कालीन थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर बलदेव सिंह, जिनकी अभि.सा.1 के रूप में जांच की गई थी, घटना की तारीख को पुलिस स्टेशन अजनाला में तैनात थे। उन्होंने अफीम के उक्त नमूने तथा केस सामग्री प्राप्त की, जो अभि.सा. 5 द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी। साक्ष्यों से यह पता चला है कि इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने संपूर्ण केस संपत्ति अपने पास तब तक रखी जब तक कि उसे एसआई सुरिंदर सिंह (अभि.सा. 3)

के माध्यम से 30.9.1997 को रासायनिक परीक्षक, अमृतसर के कार्यालय में जमा नहीं करा दिया गया। साक्ष्यों के आधार पर यह भी पता चला है कि रासायनिक परीक्षक द्वारा नमूने के पार्सल प्राप्त होने की तिथि तक उक्त पार्सलों पर लगाई गई सील बरकरार थी। यह स्वयं साबित करता है और सिद्ध करता है कि नमूने में उपरोक्त सील के साथ किसी भी स्तर पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी और विश्लेषक द्वारा रासायनिक परीक्षण के लिए प्राप्त नमूने में वही अफीम थी जो अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई थी। इस मामले को देखते हुए, नमूने भेजने में लगभग 40 दिनों की देरी से अपीलार्थी को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही हो सकता था। इसलिए, उपरोक्त तर्क भी खारिज किया जाता है।"

23. वर्तमान मामले में भी, जांच अधिकारी एसआई सुनील जैन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अभियुक्त से प्रतिबंधित माल बरामद होने के बाद नमूनों को अपनी '5बीपीएसएनबीडीईएलएचआई' की सील के साथ सील कर दिया था। हेड कांस्टेबल विजय पाल ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अन्य केस संपत्ति और दस्तावेजों के साथ नमूना लिया और उसे थाना नारकोटिक्स शाखा के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सौंप दिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने यह भी कहा है कि उन्होंने दस्तावेजों और सीलबंद पार्सलों पर अपने नाम के पहले अक्षर और मामले का विवरण लिखा तथा '1एसएचओएनबीआरदिल्ली' की अपनी सील भी लगाई और पार्सल तथा दस्तावेज एमएचसीएम को सौंप दिए। एमएचसीएम ने न्यायालय में यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक नमूने उनके पास थे, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। अभि.सा. 1 कांस्टेबल सतपाल, जिन्होंने 18.10.2006 को ए चिह्नित नमूना

पार्सल को एफएसएल, रोहिणी में जमा करने के लिए लिया था, ने भी कहा है कि सील बरकरार थे और जब तक नमूने उनके कब्जे में थे, तब तक किसी ने भी उनमें छेड़छाड़ नहीं की थी। दिनांक 02.01.2007 की एफएसएल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नमूने की सीलें बरकरार थीं और एफएसएल फॉर्म के साथ भेजे गए नमूना सील छाप से इसका मिलान किया गया था। इन गवाहों के बयानों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि नमूनों में छेड़छाड़ की गई थी। इसलिए, रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूने एफएसएल, रोहिणी भेजने में देरी वर्तमान मामले के लिए घातक नहीं है।”

7. इससे यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने तथा निर्णयज विधि पर भरोसा करने के बाद सही ढंग से निष्कर्ष निकाला है कि नमूना भेजने में देरी का कारण अच्छी तरह से स्पष्ट है तथा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह बताए कि इस अवधि के दौरान नमूने के साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी।

8. मैंने विचारण न्यायालय के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का लेशमात्र भी यह बताने में विफल रहे हैं कि नमूनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई गुणागुण नहीं है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया अगला तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पुलिस गवाहों की गवाही पर आधारित है और यद्यपि बरामदगी सार्वजनिक स्थान पर की गई थी और घटनास्थल पर

आम लोगों की उपस्थिति से भी अभियोजन पक्ष ने इनकार नहीं किया है, फिर भी अभियोजन पक्ष ने बरामदगी के लिए किसी भी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया है। आगे यह तर्क दिया गया कि इससे बरामदगी संदिग्ध हो जाती है।

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त से सार्वजनिक स्थान पर बरामदगी की गई है। जांच अधिकारियों ने विधिवत बताया कि उन्होंने कई लोगों से जांच में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन सभी ने भी इनकार कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज समाज में जनमानस में उदासीनता व्याप्त है। अगर कोई घायल हालत में भी पड़ा हो तो लोग बस घायल को देखकर चले जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग रुककर घायल व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करें या उसे नजदीकी अस्पताल ले जाने का प्रयास करें। यह न्यायालय तथा शीर्ष न्यायालय विभिन्न मामलों में जनता की असंवेदनशीलता पर रोना रोते रहे हैं। यह एक कठोर सत्य है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस मामलों में उलझना नहीं चाहता। लोग तमाशबीन बनते जा रहे हैं। जब उनसे कुछ भी गवाही देने के लिए कहा जाता है वे सिर्फ अपनी कठिनाई दिखाते हैं और इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। जनता की इस उदासीनता को देखते हुए पुलिस को स्वयं कार्रवाई करनी पड़ रही है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि राहगीर व्यक्तियों को गवाह नहीं बनाये जाने के कारण पूरी कार्यवाही दोषपूर्ण हो गयी है। अभियोजन पक्ष ने एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया का उचित

अनुपालन सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिपरीक्षा में, गवाहों की गवाही में संदेह पैदा करने वाली कोई बात नहीं है। केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष के गवाह पुलिस अधिकारी हैं, वे एक सक्षम गवाह बनने से चूक नहीं जाते। यदि पुलिस अधिकारी ने अपराध होते देखा है, तो वह एक सक्षम गवाह है और उसकी गवाही पर केवल इसलिए संदेह नहीं किया जा सकता कि वह एक पुलिस अधिकारी है। किसी राहगीर व्यक्ति का न्यायालय में शामिल न होना, विशेषकर जब कारण अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया गया हो, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है तथा दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से पुलिस अधिकारियों की गवाही के आधार पर की जा सकती है, जिन्होंने मौखिक रूप से एक-दूसरे की पूरी तरह से पुष्टि की है तथा उनकी गवाही अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्यों से पुष्ट होती है। इन पुलिस अधिकारियों की गवाही में छोटी-मोटी लोप और कारण त्रुटि घातक नहीं होतीं, विशेषकर तब जब वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसे कई अपराधों के गवाह होते हैं। संदेह का लाभ पाने के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त को अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, जो प्रबलता से उसके झूठे आक्षेपों का संकेत देते हों। अपीलार्थी-अभियुक्त अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिससे उसका झूठा आरोप सामने आता है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि पांच साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना अधिक है और इसे कम किया जाना चाहिए।
13. अभिलेख से, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पहला अपराधी नहीं है। उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत अन्य मामले में थाना नारकोटिक्स शाखा के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21/29 के तहत प्राथमिकी सं. 43/2002 में दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया है।
14. अभियुक्त-अपीलार्थी की पूर्व दोषसिद्धि को देखते हुए सजा और जुर्माना अधिक नहीं है।
15. अपील में कोई गुणागुण नहीं है। इसे खारिज किया जाता है।
16. इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाए।
17. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, तिहाड़ को अनुपालन हेतु भेजे तथा उसे अपीलार्थी को भी उपलब्ध कराए।

**न्या. दीपा शर्मा**

**29 अप्रैल, 2014**

आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।